उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-973/2023/5582(1)/41-2023-C.N. 196117-2019
लखनऊः: दिनांक 24 दिसम्बर, 2023

<u>शुद्धि-पत्र</u>

अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित 06 प्रवेश द्वारों हेतु समस्त सुविधाओं से युक्त व्यवस्था हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 946/2023/5582/41-2023/003/C.N.196117-2019-14-Budget-2019, दिनांक 13-12-2023 द्वारा जनपद गोण्डा की सीमा में आने वाले 02 प्रवेश द्वारों हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष लेखाशीर्ष 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय-60-भूमि क्रय मद में प्राविधानित धनराशि में से पंचम किश्त के रूप में रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, गोण्डा के निवर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित 06 प्रवेश द्वारों हेतु समस्त सुविधाओं से युक्त व्यवस्था हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रशासकीय एवं उसके सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2022-23	454/2022/आई/203604/001/14-Budget -2019 दिनांक 23.08.2022		2500.00
2	2022-23	352/आई/296985/001-41-1002-523-2019-14-Budget-2019, दिनांक 31.03.2023		2500.00
3	2023-24	555/2023/3814/41-2023-/001/C.N.196117-14- Budget-2019, दिनांक 14.08.2023		645.19
4	2023-24	794/2023/5104/41-2023-/002/C.N.196117-14-Budget-2019, दिनांक 02.11.2023	6700.00	500.00
कुल अवमुक्त धनराशि				**6145.19**

3- शासनादेश संख्या-946/2023/5582/41-2023/003/C.N.196117-2019-14-Budget- 2019, दिनांक 13-12-2023 द्वारा रू0 600.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित 06 प्रवेश द्वारों हेतु समस्त सुविधाओं से बुक्त व्यवस्था हेतु भूमि क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू0 6700.00 लाख के सापेक्ष 6745.19 लाख अवमुक्त की गयी। पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-6100/6-1- 1/(1386)/2021-22, दिनांक 17-11-2023 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अधिक धनराशि की मांग किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रश्नगत भूमि क्रय हेतु रू0 45.19 लाख की धनराशि अधिक अवमुक्त की गयी।

4- अतः शासनादेश संख्या-946/2023/5582/41-2023/003/C.N.196117-2019-14- Budget-2019, दिनांक 13-12-2023 द्वारा जनपद गोण्डा की सीमा में आने वाले 02 प्रवेश द्वारों हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु अवमुक्त धनराशि रूपये 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) के स्थान पर रूपये 5,54,81,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(रूपये पांच करोड़ चौव्वन लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 13-12-2023 में स्वीकृत रू० 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) के स्थान पर रूपये 5,54,81,000 (रूपये पांच करोड़ चौव्वन लाख इक्यासी हजार मात्र) पढ़ा जाय।

5- उक्त शासनादेश दिनांक 13.12.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष पार्टी एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ० प्र० शासन।
5. आयुक्त, अयोध्या/लखनऊ/ देवीपाटन/बस्ती मण्डल।
6. आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी अयोध्या/रायबरेली/सुल्तानपुर/लखनऊ/अम्बेडकरनगर/गोण्डा/बस्ती ।
9. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
10. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
11. वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।

निदेशक, पर्यटन, उ०प्र० निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि

12. कृपया क्रमांक-9, 10, 11, 13 व 14 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
14. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
16. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
17. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।